

**प्रमुख सचिव**  
राज्यपाल, राजस्थान



राजभवन, जयपुर - 302 006

राजस्थान,

फोन : +91-141-2228792

फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक: एफ.53(1)आरबी/2021 पार्ट1/५२)३  
दिनांक: १० अगस्त, 2022

**कुलपतिगण,  
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,  
राजस्थान।**

**विषय:- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलपति हेतु आदर्श आचार संहिता (Model code of Conduct (SoP) के संबंध में।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि "टास्क फोर्स" की 14 वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित **आदर्श आचार संहिता** (Model code of Conduct (SoP) संलग्न कर प्रेषित है।

उपरोक्त क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया संलग्न **आदर्श आचार संहिता** (Model code of Conduct (SoP) की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

-Sd/-

(सुबीर कुमार)

क्रमांक: एफ.53(1)आरबी/2021 पार्ट1/५२)८

दिनांक: १० अगस्त, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल राजस्थान, राजभवन जयपुर।
- विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर।
- कुलसचिव, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
- प्रभारी (IT), राज्यपाल सचिवालय को राजभवन वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन जयपुर।

8

प्रमुख सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान

## कुलपति के लिए आदर्श आचार संहिता

1. कुलपति अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के शैक्षिक मानकों के विकास, उन्नयन तथा विद्यार्थियों एवं समाज के सर्वोत्तम हित के लिए समर्पित करेंगे।
2. कुलपति उनको प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग एवं अपने कर्तव्यों का पालन सुसंगत अधिनियमों, विधियों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार या इनके तहत बनाये जाने वाले या इसके तहत बनाये समझे गये विधान के अनुरूप करेंगे। कुलपति समय—समय पर कुलाधिपति और/अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
3. कुलपति विश्वविद्यालय के भवन और परिसर या उसके किसी भाग और विश्वविद्यालय की सुविधाओं का किसी भी राजनीतिक दल के लिए अथवा राजनीतिक, धार्मिक अथवा सांप्रदायिक विचारों, विश्वासों या दृष्टिकोण के प्रचार—प्रसार के लिए उपयोग नहीं करेंगे या उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे, सिवाय इसके कि किसी नेता या किसी छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में या एक अकादमिक प्रस्तुति के हिस्से के रूप में किसी विशेष सिद्धांत की व्याख्या करना आवश्यक हो या विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट की डिग्री के लिए किसी थीसिस में आवश्यक होने पर उस विषय को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।
4. कुलपति अपने उच्च पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करेंगे। वह निष्पक्ष एवं बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य संपादित करेंगे। वह स्वयं को एक अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेंगे।



5. कुलपति पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशा जिसमें वित्तीय लाभ या अन्य व्यक्तिगत लाभ शामिल हो, से नहीं जुड़ेंगे न ही किसी प्रकार से संबंधित रहेंगे। वह कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के बिना, कोई भी कार्य जो विशुद्ध रूप से शैक्षणिक, सामाजिक या साहित्यिक प्रकृति का न हो स्वीकार नहीं करेंगे।
6. कुलपति, अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे या राय व्यक्त नहीं करेंगे जिसमें केन्द्र या राज्य सरकार की किसी नीति या कार्यवाही की आलोचना सम्मिलित हो, इसमें किसी राजनीतिक दल, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या संचार का कोई अन्य माध्यम सम्मिलित माने जायेंगे।
7. कुलपति अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए अपनी पदीय स्थिति/प्राधिकार का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे।
8. कुलपति किसी भी ऐसे दल/संगठन के सदस्य नहीं बनेंगे जो राजनीतिक क्रिया कलाप में संलिप्त हों।
9. कुलपति ऐसे किसी दान, शिष्टाचार, भेंट आदि को स्वीकार नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनके कार्य को प्रभावित करें।
10. कुलपति को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप संपादित करना चाहिए।
11. कुलपति अपने निर्णयों एवं चारित्रिक उत्कृष्टता के लिए जवाबदेह हैं और सार्वजनिक रूप से स्वयं को या दस्तावेजों द्वारा जो भी जाँच के लिए उपयुक्त हो, प्रस्तुत करेंगे।



12. कुलपति विश्वविद्यालय की कोई भी गोपनीय जानकारी किसी भी स्थिति में किसी के साथ भी साझा नहीं करेंगे, जब तक कि वह अपने नियमित कर्तव्यों के हिस्से के रूप में ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो अथवा जब तक सरकार और/या अदालत के आदेश द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं हो।
13. कुलपति सुशासन पूर्ण कार्यप्रणाली और प्रशासनिक और नैतिक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पूर्ण रूप से कुलाधिपति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे।
14. कुलपति संसाधनों के प्रभावी और अधिकतम उपयोग, विश्वविद्यालय की और उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे और साथ ही इसे कुलाधिपति के कार्यालय के संज्ञान में लाएँगे।
15. कुलपति के लिए अपने पेशेवर व्यवहार के तहत जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंगभेद या स्त्री—पुरुष के आधार पर विचार करने मात्र से विरल रहना होगा।